

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 11-10-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹20,60,48,258/- (बीस करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ अठावन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-12.06.18, 24(7)ब दिनांक-23.07.18 तथा 27(7)ब दिनांक-05.09.18 के क्रम में संलग्न विवरणी अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹20,60,48,258/- (बीस करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ अठावन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सांरग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मर्दों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


(e)

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
12. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
13. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 47 (A) 6


पटना, दिनांक : 11-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरण-1

38 जिला यथा पटना/गोपालगंज/नवादा/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/बैशाली/गया/औरंगाबाद/भागलपुर/बाँका/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/प० चम्पारण(बैतिया)/शेखपुरा/किशनगंज जमई/कटिहार/ पूर्णियाँ/ खगड़िया/ बक्सर/ सारण (उपरी)/गालन्दा/बहेलस (सासाराम)/बेगूसराय/मधुबनी/सीतान/सहरसा/मधेपुरा/सीतामढ़ी/दरभंगा/सुपौल/अरिया/लखीसराय/कैमूर (मधुआ)/भोजपुर/शिवहर/जहानाबाद/ अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय एवं संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संक्रमक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर वाहन/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर बाट सारंग वाहन/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन अर्थशास्त्र उपयोजना/ सिविल सर्जन, भागलपुर के अधीन दंत इकाई/ शैक्षणिक प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी का वित्तीय वर्ष 2018-2019 में देन भत्ता मद एवं अन्य मदों में ओरिक्ता आवंटन :-

क्रम	जिला का नाम	देन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग देन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	दर्दी/पोषक	किरया महसूल एवं कर	सामग्री एवं पूर्तियाँ	सविदा सेवारत	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	पटना	3500000	350000	665000	100000	20000	175000	4810000	0	0	150000	100000	10000	200000	30000	8500	0	50000	0	5358500	6052/24.8.18, 4929/5.7.18
2	समस्तीपुर	3000000	300000	570000	0	33000	150000	4053000	30000	20000	100000	10000	10000	200000	25000	0	0	20000	400000	4868000	1922/17.9.18
3	भागलपुर	12000000	1200000	2280000	0	132000	600000	16212000	0	0	50000	50000	0	200000	0	0	0	0	0	16512000	3429/10.9.18
4	पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)	2500000	250000	475000	0	27500	125000	3377500	199644	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	3577144	1634/30.7.18
5	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	100000	70000	10000	0	0	0	0	30000	0	220000	8188/20.9.18
6	पूर्णियाँ	3000000	300000	540000	0	33000	150000	4023000	137525	20000	100000	0	0	0	0	10000	0	0	0	4320525	2488/13.9.18
7	बक्सर	1200000	120000	216000	0	13200	60000	1609200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1609200	2192/18.9.18
8	बेगूसराय	3000000	300000	540000	0	33000	150000	4023000	284040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4307040	1150/8.6.18
9	गोपालगंज (बारा)	1400000	140000	252000	0	15400	70000	1877400	10000	0	100000	50000	10500	0	25000	2500	0	0	0	2075400	3552/11.9.18
10	गोपालगंज	2400000	240000	432000	0	26400	120000	3218400	0	20000	100000	50000	10000	0	50000	10000	0	20000	400000	3878400	1975/2.9.18
11	नवादा	1400000	140000	252000	0	15400	70000	1877400	0	0	100000	50000	10000	0	0	10000	0	0	0	2047400	2409/30.8.18
12	मुजफ्फरपुर	5000000	500000	900000	0	55000	250000	6705000	0	20000	100000	0	0	80000	50000	10000	0	0	0	6965000	2791/28.8.18
13	बैशाली	3500000	350000	630000	0	38500	175000	4693500	0	0	50000	0	10000	0	0	0	0	0	0	4753500	1309/21.7.18
14	गया	14000000	1400000	2520000	0	154000	700000	18774000	0	15000	100000	45000	0	0	100000	10000	0	50000	0	19094000	2510/25.8.18
15	औरंगाबाद	6000000	600000	1080000	0	66000	300000	8046000	0	20000	100000	50000	6500	0	100000	10000	0	50000	50000	8432500	1680/25.8.18
16	बाँका	1000000	100000	180000	0	11000	50000	1341000	0	20000	75000	50000	0	80000	0	6500	36000	50000	0	1658500	1620/4.8.18
17	प० चम्पारण (बैतिया)	2500000	250000	450000	0	27500	125000	3352500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3352500	
18	शेखपुरा	3500000	350000	630000	0	38500	175000	4693500	0	50000	50000	20000	10000	120000	50000	0	0	50000	0	5043500	980/14.8.18
19	जमई	2000000	200000	360000	0	22000	100000	2682000	0	20000	50000	50000	0	200000	70000	6500	51000	0	0	3129500	1611/30.8.18
20	कटिहार	5500000	550000	990000	0	60500	275000	7375500	0	20000	50000	50000	10000	200000	25000	5000	0	50000	0	7785500	2031/30.8.18

47 (9) 6

11-10-18


9

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रसार	विधि प्रसार	वर्दी/पोषाक	क्रियाया महशूल एवं कर	सामग्री एवं पूर्तियाँ	सविदा सेवाएँ	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	खगड़िया	2000000	200000	360000	0	22000	100000	2682000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2682000	
22	सारण(अपर)	5000000	500000	900000	0	55000	250000	6705000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6705000	
23	नालन्दा	3800000	380000	722000	0	41800	190000	5133800	0	5000	100000	50000	10000	200000	50000	5000	200000	50000	50000	5853800	2787/29.8.18
24	रोहतास (साधारण)	2500000	250000	475000	0	27500	125000	3377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3377500	
25	मधुपुरा	3800000	380000	722000	0	41800	190000	5133800	0	20000	100000	50000	10000	80000	150000	10500	0	50000	50000	5654300	1878/26.7.18
26	सीवान	4000000	400000	760000	0	44000	200000	5404000	0	0	50000	50000	10000	0	35000	2500	0	50000	0	5601500	12/4.9.18
27	सहरसा	3000000	300000	570000	0	33000	150000	4053000	0	20000	50000	0	10000	30000	0	0	186000	0	0	4349000	1824/11.9.18
28	मधुपुरा	2000000	200000	380000	0	22000	100000	2702000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2702000	
28	सीतामढ़ी	5500000	550000	1045000	0	60500	275000	7430500	325549	20000	50000	50000	10000	0	50000	10000	0	50000	50000	8046049	2405/28.8.18
30	दरभंगा	650000	65000	123500	0	7150	32500	878150	0	20000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	998150	1545/25.8.18
31	मुंगेर	2000000	200000	380000	0	22000	100000	2702000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2702000	
32	अररिया	650000	65000	123500	0	7150	32500	878150	0	20000	50000	50000	10000	20000	75000	0	14000	0	0	1117150	2263/17.9.18
33	लखीसराय	3000000	300000	570000	0	33000	150000	4053000	0	0	50000	50000	0	100000	50000	0	0	40000	0	4343000	1430/7.9.18
34	कैमूर (मधुपुरा)	1800000	180000	342000	0	19800	90000	2431800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2431800	
35	शिवहर	1800000	180000	342000	0	19800	90000	2431800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2431800	
36	मुंगेर	3500000	350000	665000	0	38500	175000	4728500	0	0	50000	0	10000	0	0	10000	0	50000	0	4848500	1882/17.9.18
37	जहानाबाद	12000000	1200000	2280000	0	132000	600000	16212000	0	25000	100000	50000	0	100000	50000	10000	0	50000	0	16597000	1913/1.9.18
38	अरवल	1500000	150000	285000	0	16500	75000	2026500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026500	
	कुल	134900000	13490000	25007000	100000	1465400	6745000	181707400	986758	375000	1975000	1045000	167000	1810000	985000	137000	487000	730000	1050000	191455158	

(उन्नीस करोड़ चौदह लाख पचपन हजार एक सौ अठारवन) रू० मात्र

47 (7) अ

11-10-18


सरकार के विशेष सचिव

विवरण-II

क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्का0 से0, पटना/तिरहुत/दरभंगा/भागलपुर प्रमण्डलों में कार्यरत संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ता मद एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल योग वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना प्रमण्डल, पटना	1000000	500000	120000	100000	6000	48000	1774000
2	तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1200000	600000	120000	0	6000	48000	1974000
3	दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	990000	495000	120000	0	6000	47000	1658000
4	भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	4000000	2000000	120000	0	6000	47100	6173100
	कुल	7190000	3595000	480000	100000	24000	190100	11579100

(एक करोड़ पन्द्रह लाख उन्नासी हजार एक सौ) रु. मात्र

47 (अ) रु

11-16-18



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी-III

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के अधीन कार्यरत 101 रोगों से बचाव एवं नियंत्रण योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ता मद तथा अन्य इकाईयों में अतिरिक्त आवंटन :-

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं०)	आवंटित राशि
1	2	3
1	वेतन (0002-01-01)	1300000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	1300000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	260000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	50000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	13000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	91000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	3014000
	कुल योग:-	3014000

(तीस लाख चौदह हजार) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी वार व्यय की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं०)	विवरणी -I	विवरणी -II	विवरणी -III	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	वेतन (0002-01-01)	134900000	7190000	1300000	143390000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	13490000	3595000	1300000	18385000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	25007000	480000	260000	25747000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	100000	100000	50000	250000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	1465400	24000	13000	1502400
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	6745000	190100	91000	7026100
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	0	0	0	0
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	181707400	11579100	3014000	196300500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	986758	0	0	986758
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	375000	0	0	375000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	1975000	0	0	1975000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	1045000	0	0	1045000
12	दूरभाष (0002-13-03)	167000	0	0	167000
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	1810000	0	0	1810000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	985000	0	0	985000
15	वर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	137000	0	0	137000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	487000	0	0	487000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	0	0	0	0
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	730000	0	0	730000
19	दवा भंडार (0002-21-02)	0	0	0	0
20	अनुसंधान एवं मरम्मत (0002-27-02)	0	0	0	0
21	सविदा सेवाएँ (0002-28-02)	1050000	0	0	1050000
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	0	0	0	0
	योग	191455158	11579100	3014000	206048258

(बीस करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ अंठावन) रू० मात्र

47 (7) 6
11-10-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	228500000	143390000	371890000	148123000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	52001000	22850000	18385000	41235000	10766000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	74474000	37675000	25747000	63422000	11052000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	4112000	1600000	250000	1850000	2262000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	10260000	4438000	1502400	5940400	4319600
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	38640000	19021500	7026100	26047600	12592400
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	700000000	314084500	196300500	510385000	189615000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	0	986758	986758	13242
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	1171000	375000	1546000	954000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	2141000	1975000	4116000	884000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	1700000	1045000	2745000	255000
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	133000	167000	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	4680000	1810000	6490000	60000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	950000	985000	1935000	65000
15	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	300000	148000	137000	285000	15000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	532000	487000	1019000	91000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0002-21-01)	1500000	760000	730000	1490000	10000
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	2300000	0	2300000	100000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	संविदा सेवाएँ (0002-28-02)	2000000	950000	1050000	2000000	0
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	730162000	329549500	206048258	535597758	194564242

47 (7) B

11-10-18

सरकार के विशेष सचिव
जी०